

सूचना

कोल इंडिया लिमिटेड की पुनर्वास एवं पुनःस्थापना नीति, 2012 के अधीन रोजगार हेतु कोयला धारक आधिनियम 1957 के अधीन अधिगृहीत खाता सं.43 और 74 के अधीन प्लॉट सं. 76, 121, 136, 138, 152, 154, 1358, 1359, 1360, 1383, 1389, 1423, 1426, 1427, 1454, 1591, 77(भाग), 78, 80, 131, 141, 1429 रकबा - 2.00 एकड़ के तहत ग्राम: पोटंगा थाना: बड़कागाँव जिला: हजारीबाग (झारखण्ड) के निवासी सहाविर मुंडा पिता स्वर्गीय करी मुंडा से संबन्धित एक प्रस्ताव प्रोसेस किया गया है।

अगर उक्त रोजगार पर किसी भी व्यक्ति का कोई दावा/ आपत्ति हो तो वे इस सूचना के प्रकाशन/ बेबसाईट http://www.centralcoalfields.in/indsk/noti_empl_lnd.php पर इस सूचना को डाले जाने की तारीख से पंद्रह दिनों के अंदर सभी दस्तावेजों एवं साक्ष्य के साथ अपनी आपत्ति लिखित रूप में महाप्रबंधक (भूमि एवं राजस्व), सी.सी.एल, राँची के समक्ष उठा सकते हैं।

अगर उक्त पंद्रह दिनों के अंदर कोई आपत्ति प्राप्त नहीं होती है, तो यह मान लिया जाएगा कि ग्राम: पोटंगा थाना: बड़कागाँव जिला: हजारीबाग (झारखण्ड) के निवासी सहाविर मुंडा पिता स्वर्गीय करी मुंडा के खाता सं.43 और 74 के अधीन प्लॉट सं. 76, 121, 136, 138, 152, 154, 1358, 1359, 1360, 1383, 1389, 1423, 1426, 1427, 1454, 1591, 77(भाग), 78, 80, 131, 141, 1429 रकबा -. 2.00 एकड़ के तहत ग्राम: पोटंगा थाना: बड़कागाँव जिला: हजारीबाग (झारखण्ड) के निवासी सहाविर मुंडा पिता स्वर्गीय करी मुंडा के रोजगार प्रस्ताव पर कोई भी आपत्ति नहीं है।

विश्व कुमार
२६/०६/२०१६